राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प.6(15)नविवि/3/87पार्ट जयपुर, दिनांक 22 DEC 2014

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।

विषयः– पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2740/06 सुगन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.07.13 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.09.14 को योजना क्षेत्र में भूमि आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित की जा चुकी है। जिसके क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा भूमि नियमन शिविर लगाये जाकर क्षेत्रवासियों को पट्टा–विलेख (लीज डीड) जारी किये जा रहे हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.13 की अनुपालना में पूर्व विभागीय आदेश प.6(15)नविवि/3/87 पार्ट जयपुर दिनांक 05.05.12 को अधिक्रमित करते हुए निर्णय लिया गया है कि जिन भूखण्डों में पृथ्वीराज नगर में पट्टा–विलेख (लीज डीड) जारी हो जाते हैं, उनको नियमानुसार विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है।

अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है–

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय